सुमित्रा बनाम लालमा

T.I. 24/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस ... से
	लिहाजा आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.05.2024 तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि खाता संख्या नया 19 पुराना 38 के आराजी खसरा नं. 598, 599 ग्राम झझार की ढाणी पटवार हल्का लीलोज तहसील बसवा में स्थित भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे एवं मौके की स्थिति यथावत कायम रखी जावे। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस रजिस्टर्ड एडि सहित जारी हो। प्रार्थीगण द्वारा आगामी तारीख से पूर्व अप्रार्थीगण को नोटिस तारीख हेतु रजिस्टर्ड एडी प्रस्तुत करे, लिफाफे मय रजिस्टर्ड एडी पेश करने में विफल रहने पर यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा। पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.05.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
29/4/24 जयसिंह भगवानसिंह सुमित्रा (हस्ताक्षर)	पत्रावली प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण तकमील न्यायालय में रखने हेतु प्रस्तुत प्रा. पत्र के क्रम में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रा. पत्र इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। अब प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण को वापिस लिया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण वापिस लिया जाकर, दाखिल दफ्तर किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर [illegible] में जमा हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.05.02 15:30:24 IST
Reason: SelfAttested